


# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY



सं. 41 ] दिल्ली, अक्टूबर 15—अक्टूबर 21, 2010, बृहस्पतिवार/आश्विन 23—आश्विन 29, 1932 [ रा.रा.क्षे.सं 175, 178 ]  
No. 41 ] DELHI, OCTOBER 15—OCTOBER 21, 2010, THURSDAY/ASVINA 23—ASVINA 29, 1932 [ N.C.T.D. No. 175, 178 ]

*S m (H)*

भाग—IV  
PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं  
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than  
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण  
आदेश

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE  
AUTHORITY

ORDERS

दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2010

Delhi, the 13th October, 2010

सं. फा.10 ( 1429 )/मु.स. ( मुख्या )/स.शु./08/5349.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि में टुडे होटल्स (आन्ध्र) प्रा. लि., 5, स्टेट्समैन हाउस, सोलहवीं मंजिल, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 28,41,77,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 11010001 से 3851770 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,84,177 (रुपये दो लाख चव्वरासी हजार एक सौ सत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F.No.10(1429)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5349.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Today Hotels (Andhra) Pvt. Ltd., 5, Statesman House, 16th Floor, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,84,177 (Rs. Two Lac Eighty Four Thousand One Hundred Seventy Seven) only on the aggregate value of shares of Rs. 28,41,77,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 1010001 to 3851770 to be issued by the said company.

*Gang*  
*28/10*

*J. F. Ch...*  
*28/10*

**सं. फा.10 (1441)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./5350.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ग्रोव मार्केटिंग प्रा. लि., बी-2, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,08,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 100001 से 143200 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 10,800 (रुपये दस हजार आठ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F.No.10(1441)/COS(HQ)/Cons. Duty/5350.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Grove Marketing Pvt. Ltd., B-2, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,800 (Rs. Ten Thousand Eight Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,08,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 100001 to 143200 to be issued by the said company.

दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2010

**सं. फा.10 (1445)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./5470.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मै. कोबहेम इण्डिया प्रा. लि., चौथी मंजिल (फ्रंट साइड), बिरला टावर्स, 25, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,85,35,680 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 001 से 28535680 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 28,536 (रुपये अट्ठाइस हजार पांच सौ छत्तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 19th October, 2010

**F.No.10(1445)/COS(HQ)/Cons. Duty/5470.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority,

Delhi hereby directs that M/s Cobham India Private Limited, 4th Floor (Front Side), Birla Towers, 25, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 28,536 (Rs. Twenty Eight Thousand Five Hundred Thirty Six) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,85,35,680 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 001 to 2,85,35,680 to be issued by the said company.

**सं. फा.10 (1443)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./5475.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मै. मोनाट डेवलपर्स प्रा. लि., 15-ए, अमृता शेरगिल मार्ग, नई दिल्ली-110003, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 से 010000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10(1443)/COS(HQ)/Cons. Duty/5475.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Monat Developers Pvt. Ltd, 15-A, Amrita Shergil Marg, New Delhi-110003 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 00001 to 010000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2010

**सं. फा.10 (1446)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./5486.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मै. पावर फाइनैस कॉर्पोरेशन लि., उरजानिधी, 1, बाराखम्भा लेन, कनांट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 9500000000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टिबल, नन कमयूलेटिव, टेक्सेबल बोनडस जो कि डिबेन्चर के रूप में हैं जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00009500; सीरीज 69 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 20th October, 2010

**F. No. 10(1446)/COS(HQ)/Cons. Duty/5486.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110 001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of debentures of Rs. 950,00,00,000 for issue of Unsecured, redeemable, Non Convertible, Non cumulative, taxable bonds in the nature of debentures Series 69 bearing distinctive Nos. 00000001 to 00009500 to be issued by the said company.

दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2010

**सं. फा.10 ( 1448 )/मु.स. ( मुख्या. )/स.शु./5489.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधि नियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मैनकाइन्ड फार्मा लि., 236, ओखला इण्डस्ट्रियल इस्टेट, फेज-3, नई दिल्ली-110 020 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,19,28,130 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 14836610 से 20029422 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 51,929 (रुपये इक्कावन हजार नौ सौ उन्नतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 20th October, 2010

**F. No. 10(1448)/COS(HQ)/Cons. Duty/5489.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Mankind Pharma Limited, 236, Okhla Industrial Estate, Phase-3, New Delhi-110 020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 51,929 (Rs. Fifty One Thousand Nine Hundred Twenty Nine) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,19,28,130 for Equity Share Certificates with distinctive No. 14836610 to 20029422 to be issued by the said company.

दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2010

**सं. फा.10 ( 1387 )/मु.स. ( मुख्या. )/स.शु./5490.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधि नियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड

(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि., कमरा नं.-101/ए, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110 001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,01,13,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3580001 से 5591300 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 20,11,300 (रुपये बीस लाख ग्यारह हजार तीन सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 20th October, 2010

**F. No. 10(1387)/COS(HQ)/Cons. Duty/5490.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, Room No. 101/A, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110 001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 20,11,300 (Rs. Twenty Lac Eleven Thousand Three Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,01,13,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 3580001 to 5591300 to be issued by the said company.

दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2010

**सं. फा.10 ( 1444 )/मु.स. ( मुख्या. ) का. आ. स.शु./5491.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधि नियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, पहली मंजिल, कोर-IVबी, इण्डिया हैबिटेड सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 500,00,00,000 (रुपये 187,50,00,000 बैंकिंग कम्पनीज के लिए एवम् रुपये 312,50,00,000 नन-बैंकिंग कम्पनीज के लिए) मूल्य के नन कनवर्टीबल, सेक्योर्ड, रिडिमेबल टेक्सबल बोण्ड्स सीरीज-I(2020) प्रोमिशरी नोट के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 0001 से 5000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 20th October, 2010

**F. No. 10 (1444)/COS(HQ)/Cons. Duty/5491.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s National Capital

Region Planning Board, 1st Floor, Core-IVB, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110 003 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 35,00,000 (Rs. Thirty Five Lac) only on the aggregate value of Rs. 500,00,00,000 (Rs. 187,50,00,000 to banking companies and Rs. 312,50,00,000 to Non-Banking Companies) for Non-Convertible secured redeemable taxable bonds Series-I(2020) in the nature of promissory note with distinctive Nos. 0001 to 5000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2010

**सं. फा.10 ( 1410 )/मु.स. ( मुख्या. )/स.शु./5492.—**

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जे गियर्स प्रा. लि., 106, चोपड़ा कॉम्प्लेक्स, कम्यूनिटी सेन्टर, प्रीत विहार, दिल्ली-110 092 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 4,49,93,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1500701 से 6000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 44,993 (रुपये चत्वारिस हजार नौ सौ तिरानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 20th October, 2010

**F. No. 10 (1410)/COS(HQ)/Cons. Duty/5492.—**In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Jai Gears private Limited, 106, Chopra Complex, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-110 092 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 44,993 (Rs. Forty Four Thousand Nine Hundred Ninty Three) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,49,93,000 for equity Share certificates with distinctive No. 1500701 to 6000000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2010

**सं. फा.10 ( 1450 )/मु.स. ( मुख्या. )/स.शु./5504.—**

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इन्ड्यूको इनफाडवलपर्स लि., ए-187, न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 49,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 50001 से 540000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 4,900 (रुपये चार हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 20th October, 2010

**F. No. 10(1450)/COS(HQ)/Cons. Duty/5504.—**In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Induco Infradevelopers Limited, A-187, New Freinds Colony, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4,900 (Rs. Four Thousand Nine Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 49,00,000 for Equity Share Certificates with distinctive No. 50001 to 540000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2010

**सं. फा. 10 ( 1449 )/मु.स. ( मुख्या. )/स.शु./5505.—**

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आई.आई. इन्सपैक्सन एवम् एक्सपोर्ट प्रा. लि., ई-20, पहली और दूसरी मंजिल, हौज खास, नई दिल्ली-110.016 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,27,67,500 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 542711 से 998060 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 22,768 (रुपये बाइस हजार सात सौ अड़सठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से

आर. के. मिश्रा,  
विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

Delhi, the 20th October, 2010

**F. No. 10 (1449)/COS(HQ)/Cons. Duty/5505.—**In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s I.I. Inspection & Export Private Limited, E-20, 1st And 2nd Floor, Hauz Khas, New Delhi-110 016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 22,768 (Rs. Twenty Two Thousand Seven Hundred Sixty Eight) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,27,67,500 for Equity Share Certificates with distinctive No. 542711 to 998060 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority  
Govt. of National Capital Territory of Delhi

R. K. MISRA,  
Special Inspector General (Registration)